फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री लालू राम भील निवासी भगवान्दा खुर्द तहसील व जिला राजसमन्द –**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 19 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.04.2026	

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( )सू0अ0,05 / 15 / 176 दिनांक 30.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये डाक से दिनांक 09.01.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत प्रस्तुत किया गया। आरटीआई आवेदन में ईप्सित सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसका संबंध प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 29 दिनांक 13.01.2026 से संबंधित कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भूमि अवाप्ति अनुभाग के पत्रांक 155 दिनांक 10.02.2025 से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा ईप्सित सूचना विस्तृत व वृहत होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च)(ञ) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करे जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 91 दिनांक 13.02.2026 से प्रार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर सूचित किया गया। प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के संबंध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 91 दिनांक 13.02.2026 से सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना विस्तृत व वृहत होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च)(ञ) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करे उक्त बाबत प्रार्थी को जरिये पत्रांक 91 दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

13.02.2026 से सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक 91 दिनांक 13.02.2026 से प्रार्थी को वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना के संबंध में कार्यालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)